Stamp pb

निगरानी प्रकरण कमांक: /2016
प्रस्तुती दिनांक: 12-7-2016

(81)

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर, इन्दौर कैम्प के समक्ष

नि.ग - 2421 - PBR 16

गोविन्द पिता उंकार, जाति भिलाला,
आयु: 60 वर्ष, व्यवसाय: कृषि एवं नौकरी,
निवासी: ग्राम लोहारी, तहसील: कुक्षी,
जिला धार (म.प्र.)

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री राहुल राठौर
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 12.07.2016
को प्रस्तुत।

विरूध्द

विरेन्द्र पिता मगनलाल जैन,
आयु: 62 वर्ष, व्यवसाय: व्यापार,
निवासी: ग्राम लोहारी, तहसील: कुक्षी,
जिला धार (म.प्र.)

524/12.07.2016

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

..... अनावेदक

निगरानी आवेदन धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी कुक्षी, जिला धार (म.प्र.) के द्वारा प्रकरण कमांक: 01/अ–23/2014–15 में पारित आलौच्य आदेश दिनांक 29.02.2016 के द्वारा अनावेदक के द्वारा आवेदक के द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य को रोकने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर आवेदक के द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य को अन्य आदेश तक रोकने बाबद् आदेश पारित किये गये है, उक्त आलौच्य आदेश के विरूध्द

माननीय न्यायालय की सेवा मे यह निगरानी आवेदक की ओर से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त उल्लेखित आलौच्य आदेश से असतुष्ट होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर सादर प्रस्तुत है:–

1. **प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य** :–

1. यह कि, माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर के द्वारा रिट याचिका कमांक 3760/2013 में दिनांक 24.06.2013 को पारित आदेशानुसार अनावेदक के द्वारा वादोक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ (गोविंद / विरेन्द्र)

प्रकरण क्रमांक R 2421-PBR/16 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-1-2017 इंदौर कैम्प	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी कुक्षी इसी क्षेत्र जिला धार के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-2-2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के स्थगन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण प्रचलनशील होने के परिप्रेक्ष्य में अनावेदक को स्थगन आदेश प्रदान किया गया है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता नहीं की गई है। परिणामस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। (मनोज गोयल) अध्यक्ष	